



हरियाणा शहरी विकास
प्राधिकरण
HARYANA SHEHARI
VIKAS PRADHIKARAN

Tel: 0172-2564048
Toll Free No. 1800-180-3030
E-mail id: adohsvp02@gmail.com

Address: C-3 HSVP HQ Sector-6,
Panchkula

To

The Director General,
Information, Public Relations and Languages Deptt,
Haryana, Chancigarh.

Memo No. U.B./A-7/2023/ 113863

Dated: 25/5/23

Subject:- Advertisement/Public Notice for allotment of Social/Charitable/
Religious Building Sites in Panchkula & Rohtak Urban Estates.

Please find enclosed herewith copy of Public Notice/Advertisement
for allotment of Social/Charitable/Religious Building Sites in Panchkula & Rohtak
Urban Estates Urban Estates. It is requested to publish the public notice in the
following newspapers on the date mentioned below:-

Sr. No.	Name of Newspapers	Date of publishing
1.	Dainik Jagran (Hindi)	26.05.2023
2.	Amar Ujala (Hindi)	26.05.2023
3.	The Tribune (English)	26.05.2023

DA/As above

For ^{25/5/23}
Administrative Officer,
Chief Administrator,
HSVP, Panchkula.

Endst. No. U.B./A-7/2023/ 113870

Dated: 25/5/23

A copy of the above is forwarded to the following for information and
necessary action:

1. The Administrator, HSVP, Panchkula & Rohtak.
2. The Estate Officer, HSVP, Panchkula & Rohtak.

For ^{25/5/23}
Administrative Officer,
Chief Administrator,
HSVP, Panchkula.



हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हशविप्रा)
सी-3, सेक्टर-6, पंचकूला

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंड का आबंटन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हशविप्रा), पंचकूला के सैक्टर 12ए व सैक्टर 4 मनसा देवी कम्पलेक्स तथा रोहतक के सैक्टर 21पी शहरी सम्पदा क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार भूखंडों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इस आबंटन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप हशविप्रा की वेबसाइट <https://hsvphry.org.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्पदा अधिकारी, हशविप्रा, पंचकूला व रोहतक से सम्पर्क करें। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.06.2023 सायं 05.00 बजे होगी।

मुख्य प्रशासक,
हशविप्रा, पंचकूला।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु
भूखंडों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

छायाचित्र

1. संगठन का नाम व पंजीकरण संख्या.....
2. पता
3. शहरी सम्पदा का नाम जिसमें भूखण्ड चाहिये:
4. संस्था वर्तमान में है अथवा प्रस्तावित है:
5. संगठन का प्रत्यय पत्र
क) संगठन का नाम: सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी.....
ख) अगर निजी है, एक पंजीकृत समिति/समिति जो धर्मार्थ समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है
- ग) संस्था अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग ए/पिछड़ा वर्ग बी श्रेणी से सम्बन्धित है अथवा संस्था जनरल श्रेणी से सम्बन्धित है
6. क) परियोजना हेतु उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण:
- ख) उद्देश्य जिसके लिये भूखण्ड चाहिए:
7. किये गये पूर्व कार्यों का विवरण:
8. परियोजना की कुल लागत:
9. क्या संगठन के पास परियोजना संभालने की प्रबंधकीय क्षमता है.....
10. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किए जाएंगे:
11. क) मांगे गये भूखण्ड का आकार (आवश्यक कारपेट एरिया के विवरण के साथ)
ख) भूखण्ड की आवश्यकता के संबंध में औचित्य एवं निर्मित क्षेत्र को दर्शाता भूखण्ड का प्रयोज्य प्लान।
12. संस्था की वित्तीय स्थिति
क) वर्तमान सभी बैंकों का बैलेंस:
- ख) वार्षिक प्राप्तियां (पिछले 3 वित्तीय वर्षों की):.....
- ग) भूखण्ड एवं भवन हेतु चिन्हित निधि:
13. जिला उपायुक्त की अनुशंसा:
14. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:
क) परियोजना रिपोर्ट
ख) भूखण्ड प्रयोज्य नक्शा
ग) न्यास/संस्था/संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
घ) बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित वर्तमान बैंक बैलेंस का प्रमाण पत्र।

दिनांक:

स्थान:

प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

नाम:

मो० न०:

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंडों
के आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. आबंटन 99 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर किया जाएगा।
2. इच्छुक और पात्र समाज/न्यास/संस्थाएँ इसके आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. भूखण्ड की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट <https://hsvphry.org.in> पर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
5. प्राप्त आवेदनों की मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदनुसार आबंटन प्राधिकरण के यदि क्रमांक-09/547-622 दिनांक 04.01.2020 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति केवल हशविप्रा के सम्बन्धित सम्पदा कार्यालय हशविप्रा, पंचकूला व रोहतक में दिनांक 22.06.2023 सायं 5.00 बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।
7. आबंटित भूखंड के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढ़े हुये मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटी के द्वारा देय होगी।
8. इन भूखंडों के आबंटन के समय हशविप्रा की संस्थागत भूखंडों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास हेतु) हेतु जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटी से वसूल की जाएंगी।
9. ऐसे आबंटन हेतु निम्नानुसार दरें वसूल की जाएंगी:-

अनुसूचित जाति के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 20 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 30 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 40 प्रतिशत
साधारण श्रेणी के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 50 प्रतिशत

नोट: आवेदन पत्र के साथ आवेदक संस्था द्वारा जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सभी जातियों के मिश्रित समूह द्वारा भूखण्ड हेतु आवेदन किया जाएगा तो ऐसा आवेदन साधारण श्रेणी के लिए माना जाएगा

संस्थागत भूखण्डों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास) के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

क्रमांक	शहरी सभ्यता का नाम	सेक्टर/ भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूखण्ड की दरे 31.03.2023 तक मान्य थी
1.	पंचकूला	12ए भूखण्ड संख्या आई-20	611.50 वर्ग मीटर	रु. 40,000/-
2.	पंचकूला	4, मनसा देवी कम्पलेक्स	1375.93 वर्ग मीटर	रु. 40,000/-
3.	रोहतक	21पी	828 वर्ग मीटर	रु. 17,000/-

Rates for the above sites will be applicable as under:

For SC Category	20% of the above rates
For BC(A) Category	30% of the above rates
For BC (B) Category	40% of the above rates
For General Category	50% of the above rates

Note:

- i) 10% of the total cost of the land shall be deposited alongwith application form as an earnest money.
- ii)
- iii) The applicants have to provide caste certificate alongwith application.
- iv) In case of the mixed group from all caste, it shall be treated as General Category.
- v) Above rates were valid upto 31.03.2023. If rates are increased after 31.03.2023 by HSVP shall be charged extra.